

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक :: 1355/वि0का0/2010-11

लखनऊ :: दिनांक :: 26 अप्रैल-2010

विषय **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अनुदान संख्या-83 एस0सी0एस0पी0 मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0-342/26-ब0प्र0/2010-76एसजीएसवाई/09 टीसी-11, दिनांक 22.04.2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0 मद) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7450.00 लाख (रू0 चौहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) में से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रथम त्रैमास की आवश्यकताओं के लिए रू0 1862.50 लाख (रू0 अट्ठारह करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में जनपदों को अवमुक्त करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. योजनान्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या-83 एससीएसपी मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 1862.50 लाख (रू0 अट्ठारह करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर माँग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के075/रा025-रा0)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या-83 में आपके जनपद को धनराशि का आवंटन प्रथम बार किया जा रहा है।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ०प्र० इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं० 175 पर कर ली गई है।

भवदीय,



(अनुराग यादव)

५^० आयुक्त


ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

पत्रांक :: 1355 / वि०का० / 2010-11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2 / वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-2।
9. राज्य योजना आयोग-1/2 उ०प्र० शासन।
10. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग-6 उ०प्र० शासन।
11. विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० शासन को उनके पत्र संख्या-342/26-
ब०प्र०/2010-76एसजीएसवाई/09 टीसी-।। दिनांक 22.04.2010 के सन्दर्भ में।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. उप सचिव (एस०जी०एस०वाई०), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।


(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 1355/वि०का०/2010-11

दिनांक : 26 अप्रैल, 2010 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान सं०-83
एससीएसपी मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
1	MEERUT	3.65
2	GHAZIABAD	3.82
3	BULANDSHR	8.21
4	G. B. NAGAR	4.14
5	BAGPAT	2.12
6	SAHARANPUR	16.73
7	MUZ . NAGAR	10.56
8	MORADABAD	13.91
9	BIJNOR	20.94
10	RAMPUR	13.39
11	J B F NAGAR	9.74
12	BAREILLY	27.90
13	BADAUN	29.71
14	SHAHJAHANPUR	35.02
15	PILIBHIT	19.32
16	AGRA	13.59
17	FIROZABAD	7.02
18	MAINPURI	23.24
19	MATHURA	8.03
20	ALIGARH	10.64
21	ETAH	10.48
22	K.RAM NAGAR	8.33
23	HATHRAS	6.80
24	JHANSI	13.52
25	JALAUN	18.25
26	LALITPUR	10.39
27	BANDA	19.69
28	HAMIRPUR	15.22
29	MAHOBA	6.67
30	CHITRAKOOT	13.00
31	ALLAHABAD	53.05
32	FATEHPUR	27.75
33	PRATAPGARH	48.33
34	KAUSHAMBHI	28.05
35	KANPUR NAGAR	22.71
36	KANPUR DEHAT	34.68
37	ETAWAH	17.62
38	FURRUKHABAD	17.71
39	KANNAUJ	13.24



पत्रांक : 355/वि०का०/2010-11


दिनांक : 26 अप्रैल, 2010 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान सं०-83
एससीएसपी मद में राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
40	ORRIYA	19.50
41	VARANSI	16.35
42	GHAZIPUR	40.42
43	JAUNPUR	41.80
44	CHANDAULI	21.75
45	MIRZAPUR	39.91
46	SONBHADRA	42.60
47	SANT R. NAGAR	8.94
48	LUCKNOW	25.33
49	SITAPUR	65.21
50	UNNAO	57.01
51	HARDOI	66.51
52	LAKHIMPUR KHERI	61.02
53	RAEBAREILLY	60.10
54	GORAKHPUR	39.73
55	DEORIA	26.09
56	KUSHINAGAR	51.11
57	MAHRAJGANJ	20.34
58	BASTI	31.63
59	SIDHART NAGAR	27.12
60	SANT K NAGAR	25.35
61	AZAMGARH	37.34
62	MAU	22.30
63	BALLIA	36.17
64	FAIZABAD	26.11
65	BARABANKI	57.99
66	SULTANPUR	55.94
67	AMBEDKAR NGR	34.80
68	GONDA	42.20
69	BAHRAICH	60.00
70	BALRAMPUR	17.76
71	SHRAVASTI	16.90
State Total ::		1862.50

(रू० अठ्ठारह करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र)


(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपस आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग

लखनऊ: दिनांक २२ अप्रैल, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत एस.सी.एस.पी.मद अनुदान संख्या-83 से संबंधित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 को सम्बोधित आपके पत्रांक 1087/वि.का./2009-10 दिनांक 07 अप्रैल, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु नियोजन विभाग द्वारा कुल परिव्यय रू०-149.00 करोड़ (रूपये एक अरब उन्चास करोड़ मात्र) निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत एससीएसपी मद अनुदान संख्या-83 में कुल रू०-74,50,00,000/- (रूपये चौहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की बजट व्यवस्था हुई है। इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर-2 के विन्दु-5 के उपविन्दु-(11) में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2010-11 में केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा के दृष्टिगत प्रथम त्रैमास की आवश्यकताओं के लिए योजनान्तर्गत एससीएसपी मद अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू०-74,50,00,000/- (रूपये चौहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) का त्रैमास की धनराशि रू०-18,62,50,000/- (रूपये अठ्ठारह करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।
 - (2) अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रू०-1862.50 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।
 - (3) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2011 को समर्पित कर दी जायगी।
 - (4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
 - (5) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय व्ययक अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- अन्य व्यय-

01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा.25-रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

- संख्या-³⁴²(1)/26-ब.प्र.-2010- 76एसजीएसवाई/2009टी.सी.।। तददिनांक
उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
 2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
 3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
 4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
 5. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
 6. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-3
 7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनुसचिव।